तत्काल/स्पीड पोस्ट

ई-11011/1/2016-हिंदी
भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली,
दिनांक: 22 अगस्त, 2016

सेवा में,

मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के सभी माननीय गैर-सरकारी सदस्यगण एवं

मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/निगमों/बोर्डों/उपक्रमों आदि के प्रमुख।

विषय:- वस्त्र मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की दिनांक 29 जून, **2016 को माननीय वस्त्र राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में संपन्न हुई 22वीं बैठक का कार्यवृत्त।**

महोदय (या),

माननीय वस्त्र राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में दिनांक 29 **जून,** 2016 को मसूरी (उत्तराखंड) में संपन्न हुई वस्त्र मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 22वीं बैठक का कार्यवृत्त समिति के सभी माननीय सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। सदस्यों से अनुरोध है कि कार्यवृत्त के किसी मद के संबंध में यदि कोई टिप्पणी हो तो कृपया यथाशीघ्र भेजने की कृपा करें।

2. बैठक का कार्यवृत्त सभी कार्यालय प्रमुखों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि कार्यवृत्त के पृष्ठ संख्या 8 से 9 पर मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णयों पर यथाशीघ्र मदवार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और की गई कार्रवाई से मंत्रालय को 15 अक्तूबर, 2016 तक अवश्य अवगत कराया जाए।

भवदीय,

(शेर सिंह)
संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. वस्त्र मंत्री जी के निज़ी सचिव।
2. वस्त्र राज्य मंत्री जी के निजी सचिव।
3. सचिव (वस्त्र) के प्रधान निजी सचिव।
4. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय।
5. वस्त्र मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग।
6. भारत सरकार के सभी मंत्रालय एवं विभाग।
7. गार्ड फाइल।
8. एनआईसी (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)।

<u>माननीय वस्त्र राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में दिनांक 29 जून, 2016 को मसूरी (उत्तराखंड) में संपन्न हुई वस्त्र मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 22वीं बैठक का कार्यवृत्त</u>

माननीय वस्त्र राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में वस्त्र मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 22वीं बैठक दिनांक 29 जून, 2016 को पूर्वाह्न 11.30 बजे, मसूरी (उत्तराखंड) में आयोजित की गई । बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची **अनुबंध** के रूप में संलग्न है ।

सर्वप्रथम संयुक्त सचिव एवं प्रभारी राजभाषा श्रीमती गीता नारायण ने माननीय वस्त्र राज्य मंत्री जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया। इसके पश्चात उन्होंने बैठक में उपस्थित समिति के सभी गैर-सरकारी सदस्यों का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया। तत्पश्चात बैठक में उपस्थित सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्यों ने अपना संक्षिप्त परिचय दिया।

अध्यक्ष महोदय ने बैठक की कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए बताया कि समिति की पिछली बैठक 17 नवम्बर, 2015 को आयोजित की गयी थी। पिछली बैठक में समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित किए जाने का आश्वासन दिया गया था। उसी के अनुपालन में इस वर्ष की यह पहली बैठक आयोजित की जा रही है। हमारा यह निरंतर प्रयास रहता है कि हिंदी को विस्तार दिया जाए और इसको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिले। हमारे देश की अधिकांश आबादी अंग्रेजी नहीं जानती है। इसलिए हमारा यह प्रयास रहता है कि देश के शासन और प्रशासन का कार्य आम जनता की भाषा हिन्दी में किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति को अवगत कराया कि पिछली बैठक में हमें जो सुझाव मिले थे, उन पर हमारे मंत्रालय द्वारा गंभीरता से कार्रवाई किए जाने का प्रयास किया गया है। आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं जो हमें एक दिशा देने का कार्य करेंगे। इसके बाद उन्होंने मंत्रालय में राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव देने से पहले संयुक्त सचिव एवं राजभाषा प्रभारी श्रीमती गीता नारायण से मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। संयुक्त सचिव महोदया के प्रस्तुतीकरण के पश्चात अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों को क्रमश: अपने सुझाव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया।

1. **डा. सिद्धांत महापात्र, संसद सदस्य (लोक सभा):**

उन्होंने बैठक में प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों की ओर से कार्यालय प्रमुखों की कम उपस्थिति को गंभीरता से लिया और अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि सभी कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा ही बैठक में भाग लेना सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए आने वाली समस्याओं के बारे में आमने-सामने चर्चा की जा सके। अपरिहार्य परिस्थितियों में उन्हें पदक्रम में

दूसरे जिम्मेवार अधिकारी को बैठक में भाग लेने के लिए नामित करना चाहिए और इसकी पूर्व सूचना अध्यक्ष महोदय को दी जानी चाहिए।

इस पर **अध्यक्ष** महोदय ने अपनी सहमति व्यक्त की।

श्री महापात्र ने कहा कि हिन्दी अनुवाद की भाषा बनकर न रह जाए इसलिए हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों /कर्मचारियों को अपना सरकारी कामकाज मूल रूप से हिन्दी में ही करना चाहिए। मंत्रालय तथा कार्यालयों में हिन्दी अनुभाग का कार्य अन्य अनुभागों द्वारा अंग्रेजी में किए गए कार्य का अनुवाद करना नहीं बल्कि अन्य अनुभागों को हिन्दी में कार्य करने में आने वाली समस्या का समाधान करना एवं इसके लिए उनका मार्गदर्शन करना है।

उन्होंने कहा कि मैंने पिछली बैठक में राष्ट्रभाषा और राजभाषा के विषय में पूछा था परन्तु अब इस संबंध में स्पष्टीकरण आ गया है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा न होकर राजभाषा है। हिन्दी को विद्यालयों में राष्ट्रभाषा के बजाय राजभाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। संविधान की धारा 351 के अनुसार हिन्दी के साथ 8वीं अनुसूची में शामिल अन्य भाषाओं को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। खेर आयोग के सुझावों को भी क्रियान्वित करने की संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निफ्ट मुख्यालय एवं उसके कैम्पसों और सरदार वल्लभाई पटेल इन्टरनेशनल स्कूल आफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट (एसवीपीआईएसटीएम) में पढ़ायी जाने वाली अध्ययन सामग्री/पाठ्यक्रम हिन्दी भाषा में भी तैयार कराया जाना चाहिए। इससे हिन्दी माध्यम से पढ़े छात्र भी लाभान्वित होंगे और वे भी अन्य छात्रों की भांति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।

इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न कार्यालयों की अपनी शब्दावली तैयार की जाए। साथ ही कार्यालयों द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल संबंधित राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं की भी शब्दावली हिन्दी में तैयार कराई जानी चाहिए और उसे राज्यों में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों में वितरित कराया जाए। इसे कार्यालयों की वेबसाइट पर भी डाला जाना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से 'क' क्षेत्र के अधिकारियों से अनुरोध किया कि उन्हें टिप्पणी एवं पत्र इमानदारी से मूल रूप से हिन्दी में ही तैयार करने चाहिए। प्राय: अधिकारियों द्वारा हिन्दी जानते हुए भी पत्र का प्रारूप अंग्रेजी में तैयार किया जाता है और हिन्दी अनुभाग से हिन्दी में अनुवाद करवाकर पत्र जारी कर दिया जाता है। इस मानसिकता से बचा जाना चाहिए।

2. **मेघराज जैन, संसद सदस्य (राज्य सभा):-**

उन्होंने कहा कि वैसे तो कार्यसूची को देखने से पता चलता है कि कार्यालयों में काफी काम हिन्दी में किया जा रहा है, किन्तु इसमें और वृद्धि करने करने के लिए निबन्ध प्रतियोगिता एवं भाषण प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाना चाहिए। हमें अपने देश के स्वाभिमान के लिए अपना समस्त कार्य हिन्दी भाषा में ही करना चाहिए। जिन प्रदेशों में हिन्दी नहीं बोली जाती है वहां स्थानीय

भाषा में काम किया जाना चाहिए और बाद में उसका हिन्दी में अनुवाद कराया जाना चाहिए। हमें अपने देश के स्वाभिमान के लिए विशेष रूप से हिन्दी जानने वाले अधिकारियों को अपने देश की भाषा में ही हिन्दी में काम करना चाहिए। स्थानीय भाषाओं का तालमेल हिन्दी भाषा के साथ् बनाने के लिए हमें उड़िया, असमिया, तेलगू, कन्नड़, बांग्ला,तमिल इत्यादि भाषाओं का हिन्दी अनुवाद उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बांग्ला, उडिया, पंजाबी, तमिल, असमिया आदि सभी की शब्दावली हिंदी में बनाई जाए ताकि वे सब उसका अनुवाद खुद कर सकें।

अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा छापी जाने वाली पत्रिकाओं में स्थानीय भाषा के शब्दों को भी शामिल किया जाए। कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करते हुए स्थानीय भाषा के शब्दों को कोष्ठक में डाला जाना चाहिए। इससे हिन्दी और स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाएं एक दूसरे के निकट आ सकेंगी। मैं बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि.(बीआईसी) के नाम को बदला जाना चाहिए क्योंकि अब ब्रिटिश का कोई इंडिया नहीं है इस शब्द को बदला जाना चाहिए।

कार्यालयों द्वारा जो भी पुस्तकें खरीदी जाती हैं वे आलमारी की शोभा बनाने के लिए नहीं होनी चाहिएं। उनके बारे में पूर्ण लेख- जोखा रखा जाना चाहिए। यह भी डाटा रखना चाहिए कि किन किन और कितने अधिकारियों/कर्मचारियों ने उन पुस्तकों को पढ़ा है और उसका कहीं उपयोग किया है। उसी आधार पर उन्हें पुरस्कृत किया जा सकता है।

3. प्रो. सुशील कुमार शर्मा

अन्य बातों के साथ-साथ उन्होंने कहा कि समिति की 21वीं बैठक में जो सुझाव मेरे द्वारा दिए गए थे उन पर कार्य किया गया इसके लिए धन्यवाद। इसके बाद उन्होंने बैठक की कार्यसूची का अवलोकन करते हुए बताया कि प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात प्रत्येक कार्यालय द्वारा अपने कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति संबंधी रिपोर्ट मंत्रालय को भेजनी होती है। राजभाषा विभाग के नियमानुसार इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखों की होती है। भविष्य में तिमाही प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य रूप से कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर से ही मंत्रालय को भेजी जाए। कार्यालय में तैनात हिन्दी अधिकारियों को अपने कार्यालय प्रमुख के ही हस्ताक्षर से रिपोर्ट भेजना चाहिए।

राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी के पदों के सृजन के संबंध में कुछ मानक बनाए गए हैं उन्हीं के अनुरूप कार्यालयों में हिन्दी अधिकारी, अनुवादक एवं हिन्दी टंकक के पदों का सृजन किया जाना चाहिए। उन्होंने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि से राजभाषा विभाग द्वारा कार्यालयों में हिन्दी के पदों के सृजन के संबंध में बनाए गए मानक के बारे में जानना चाहा। बैठक की कार्यसूची का संदर्भ लेते हुए उन्होंने कहा कि पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता में हिन्दी अधिकारी एवं अनुवादक का पद शीघ्र भरा जाना चाहिए। भारतीय पटसन निगम लि., कोलकाता में किसी अन्य

अधिकारी को हिन्दी अधिकारी के पद का का प्रभारी बनाया गया है जबकि हिन्दी अधिकारी का पद रिक्त है। सभी कार्यालयों में हिन्दी अधिकारी का पद नियमित होना चाहिए जिससे कार्यालय में हिन्दी का सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को हिन्दी में कार्य करना चाहिए। इस संबंध में कार्यालय प्रमुख द्वारा जो व्यक्तिश: आदेश जारी किए जाते हैं उनका विशेष रूप से पालन किया जाना चाहिए। कार्यालय प्रमुख द्वारा इसकी निगरानी की जानी चाहिए। नियमानुसार हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में कार्यालय प्रमुख को ही भाग लेना चाहिए। किन्ही विशेष परिस्थितियों में ही कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने अगले अधीनस्थ अधिकारी को नामित किया जाना चाहिए और इसकी पूर्व सूचना अध्यक्ष महोदय को अवश्य दी जानी चाहिए।

इस पर **अध्यक्ष महोदय** ने कहा कि मैं चाहूंगा कि इस बात को नोट किया जाए। हम आपके सुझाव पर जरूर कार्रवाई करेंगें।

4. डॉ. सन्तराम वैश्य

डॉ. वैश्य ने कहा कि बहुत से कार्यालयों की पत्रिकाएं हमारे पास आई हैं। बढ़ते कदम पत्रिका की तरह सभी कार्यालयों को कम से कम एक वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन करना चाहिए। सभी कार्यालयों में प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया जाना चाहिए। हिन्दी की पुस्तकों की खरीद नियमित रूप से बजट के अनुसार की जानी चाहिए। हिन्दी के पद रिक्त होने से हिन्दी का कार्य बाधित होता है इसलिए हिन्दी के सभी रिक्त पदों को अविलम्ब भरा जाना चाहिए। इससे हिन्दी के विकास के लिए हमारे उद्देश्य को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

5. श्रीमती निरूपमा अग्रवाल

उन्होंने कहा कि यद्यपि संवैधानिक और प्रयोगात्मक विषयों पर काफी चर्चा हो चुकी है मैं यह कहना चाहूंगी कि हमें अपने कार्यालयों में हिंदी को अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जब हमारे मंत्री जी अपने मंत्रालय में सारा कार्य हिन्दी में करते हैं तो सभी अधिकारियों को अपना कार्य हिन्दी मे करने की आदत डालनी चाहिए। सभी अधिकारियों को मूल रूप से हिन्दी में कार्य करना चाहिए। प्रत्येक कार्यालय द्वारा विभिन्न स्थानीय भाषाओं के कार्यालयों में प्रयुक्त शब्दों की हिन्दी शब्दावली तैयार कराई जाए। पत्रिकाओं में हिन्दी शब्दों के साथ विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के पर्यायों को शामिल किया जाना चाहिए। अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकाओं की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है।

6. **श्रीमती शोभा उपाध्याय**

उन्होंने कहा कि सभी कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी का अधिक से अधिक नि:संकोच प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए कार्यालयो में हिन्दी कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे अधिकारियों में हिन्दी की मानसिकता का विकास होगा और स्वाभिमान की भावना भी आएगी। उन्होंने बताया कि चीन, स्पेन जैसे अन्य देशों की भांति हमें भी अपनी राजभाषा का प्रयोग करने में संकोच नहीं करना चाहिए। अगर हम यह नियम बना लें कि हमें हिन्दी में ही काम करना है तो स्थितियां बेहतर होंगी। उन्होंने पिछली बैठक में दिए गए अपने सुझाव का संदर्भ लेते हुए बताया कि पिछली बैठक में मेरा सुझाव यह था कि कार्यालयों में हिन्दी में अधिक कार्य करने वाले अधिकारियों का मूल्यांकन करके उन्हें वेतन वृद्धि/ पदोन्नति देकर भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। कार्यालयों में हिंदी में टंकण करने वाले कर्मचारियों की बहुत ही कमी है। अत: उनकी कमी को दूर करने के लिए हिंदी में डाटा एंट्री करने वाले कुशल कर्मचारियों को रखा जाना चाहिए। कार्यालयों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकाओं की गुणवत्ता सराहनीय है।

अध्यक्ष महोदय ने सुझाव का स्वागत करते हुए कहा कि अपने मंत्रालय/विभागों के जो अधिकारी हिंदी में अच्छा काम करते हैं, उन्हें हम सम्मानित/प्रोत्साहित कर सकते हैं। सामान्यत: हमने यह महसूस किया है कि सरकारी दफ्तरों में मूल पत्र हिन्दी में बहुत कम तैयार किए जाते हैं। मूल पत्र अंग्रेजी में तैयार किया जाता है फिर उसका हिन्दी अनुवाद तैयार कराया जाता है। कभी-कभी हिन्दी का ऐसा अनुवाद हो जाता है कि समझ में ही नहीं आता। इसलिए विशेष रूप से क क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में पत्र मूल रूप से हिन्दी में ही तैयार किए जाने चाहिएं।

7. **श्री जगदीश नारायण राय**

उन्होंने अध्यक्ष महोदय को मंत्रालय में किए जा रहे राजभाषा हिन्दी के क्रियान्वयन कार्य के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उदाहरण दिया कि जब गंगा गंगोत्री से शुद्ध निकलती है तो आगे भी शुद्ध रहेगी । इसलिए जब माननीय मंत्री जी अपना समस्त कार्य हिन्दी में करते हैं तो उनके नियंत्रणाधीन प्रशासनिक अधिकारियों को भी हिन्दी में कार्य करना चाहिए। यदि अधिकारी अपना सारा काम हिन्दी में करने लगेंगे तो कर्मचारियों पर भी इसका अच्छा असर होगा। यही सरकार की नीति भी है। उन्होंने बताया कि राजभाषा अधिनियम 1976 के नियम 12 के अनुसार कार्यालयों में हिन्दी को बढ़ाने का दायित्व प्रशासनिक प्रधान को ही सौंपा गया है। समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित किए जाने के लिए उन्होंने अध्यक्ष महोदय को पुन: धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि वाराणसी में केंदीय रेशम बोर्ड के कार्यालयों में हिंदी में अच्छा कार्य हो रहा है जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। परंतु वस्त्र मंत्रालय के नियंत्रणाधीन वाराणसी स्थित राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि., विकास आयुक्त हथकरघा का कार्यालय तथा विकास आयुक्त हस्तशिल्प का कार्यालय जैसे अन्य कार्यालयों द्वारा भी

हिन्दी में कार्य को बढावा दिया जाना चाहिए। उन्हें नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भाग लेना चाहिए।

हिन्दी अनुवाद की भाषा बनकर न रह जाए इसलिए कार्यालयों में हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मूल पत्र हिन्दी में ही तैयार करना चाहिए। पत्र को मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार करके उसका हिन्दी अनुवाद नहीं कराया जाना चाहिए। अनुवाद से हिन्दी का विकास नहीं होगा। इसके साथ उन्होंने राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए दिनांक 26.02.2016 के परिपत्र सं 11034/15/2015-रा.भा.(नीति) का भी हवाला दिया जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में किए कार्य की समीक्षा की जाए और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को ही पुरस्कृत किया जाए। हिन्दी दिवस/हिन्दी सप्ताह/हिन्दी पखवाड़ा के अवसर पर ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं, जिनका संबंध सरकारी कामकाज से हों और साथ ही साथ वह राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने में सहायक हों। इसको क्रियान्वित करने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यालय को दी गई है। पुरस्कृत करने के लिए काम की न्यूनतम सीमा भी मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय ने सुझाव पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि पूरे वर्ष हिन्दी में कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य की समीक्षा की जाए, उसी के आधार पर उन्हें पुरस्कृत किया जाए।

8. श्री अतुल कुमार गंगवार

उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा कि हिन्दी को सहज रूप से स्वीकार कराने के लिए इसके साथ स्थानीय भाषाओं को भी महत्व दिया जाना चाहिए। लोगों को हिन्दी थोपी हुई भाषा न लगे नुक्कड़ नाटकों जैसी आनन्द वाली चीजों के माध्यम से हिन्दी को बढ़ावा दिए जाने पर विचार किया जा सकता है। हिंदी के प्रचार प्रसार में हिंदी सिनेमा का बहुत योगदान रहा है। हिन्दी फिल्मों का आनन्द उठाने के लिए लोगों ने हिन्दी सीखी है। इससे हिन्दी का प्रसार हुआ है। हिंदी फैशन, दिखावे या पुरस्कार की भाषा बनकर न रह जाए बल्कि इसे ऐसी भाषा बनाना है जिससे वह प्रत्येक क्षेत्र में आम चलन में हो।

9. श्री निरंजन कुमार

उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा कि वस्त्र मंत्रालय के नियंत्रणाधीन उत्पादित किए जाने वाले वस्त्र उत्पादों पर मेड इन इंडिया (**Made in India**) अंग्रेजी में लिखा होता है। अत: सभी वस्त्र उत्पादों पर **Made in India** की हिंदी '**भारत में निर्मित**' लिखा जाए और उसके आगे कोष्ठक में (**Made in India**) भी लिखा जा सकता है। वस्त्र उत्पादन में लगी प्राइवेट कंपनियों को भी **Made in India** के स्थान पर '**भारत में निर्मित**'(**Made in India**) शब्द का प्रयोग करना चाहिए।

उन्होंने सुझाव दिया कि कम्प्यूटर पर हिन्दी टाइपिंग के लिए **Voice Typing Software** को डाउनलोड करके इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। इसमें विशेष व्यय भी किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने हिन्दी पुस्तकों की खरीद के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निदेश को दोहराते हुए बताया कि सभी कार्यालयों द्वारा राजभाषा विभाग के नियमानुसार न्यूनतम 50% पुस्तकें हिन्दी में खरीदी जानी चाहिए। बल्कि उनकी प्रतिशतता भी 50% से अधिक करने की कोशिश की जाए जिससे हिंदी के उपयोग में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि कार्यालयों में राजभाषा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के जो पद खाली हैं, उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए। इसके अलावा, जिन कार्यालयों में हिन्दी अधिकारी के पद प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाने की व्यवस्था है उन कार्यालयों में नियमित हिन्दी अधिकारी के पद सृजित किए जाने चाहिएं। हिन्दी अधिकारी को वेतन वृद्धि/ पदोन्नति के साथ पदनाम भी दिए जाने चाहिएं जिससे वे मनोवैज्ञानिक रूप से प्रोत्साहित होंगे।

सदस्यों के सुझावों के आलोक में अध्यक्ष महोदय के निदेश पर बैठक में उपस्थित सभी कार्यालय प्रमुखों ने उनके कार्यालयों द्वारा राजभाषा हिन्दी के क्रियान्वयन के संबंध में की गई नई पहलों एवं प्रमुख उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया।

अन्त में, बैठक को समाप्त करते हुए अध्यक्ष महोदय ने समिति के सदस्यों को उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझावों के लिए धन्यवाद दिया और यह आश्वासन दिया कि उन सुझावों पर जरूर कार्रवाई की जाएगी।

इसके पश्चात, संयुक्त निदेशक (रा.भा.),श्री शेर सिंह द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।

अन्त में अध्यक्ष को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त हुई।

कार्यवृत्त पर कार्रवाई किए जाने हेतु मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय

1. हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों के सभी कार्यालय प्रमुखों को अवश्य भाग लेना चाहिए। अपरिहार्य परिस्थतियों में पदक्रम में दूसरे रैंक वाले अधिकारी को बैठक में भाग लेने के लिए नामित करना चाहिए और इसकी पूर्व सूचना अध्यक्ष महोदय को दी जानी चाहिए।

2. हिन्दी अनुवाद की भाषा बनकर न रह जाए इसलिए हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को अपना सरकारी कामकाज मूल रूप से हिन्दी में ही करना चाहिए। विशेष रूप से 'क' क्षेत्र के अधिकारियों को टिप्पणी एवं पत्र मूल रूप से हिन्दी में ही तैयार करने चाहिएं।

3. संविधान की धारा 351 के अनुसार हिन्दी के साथ 8वीं अनुसूची में शामिल अन्य भाषाओं को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

4. मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी प्रशिक्षण संस्थानों, विशेष रूप से निफ्ट मुख्यालय एवं उसके कैम्पसों और सरदार वल्लभाई पटेल इन्टरनेशनल स्कूल आफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट (एसवीपीआईएसटीएम) में पढ़ायी जाने वाली अध्ययन सामग्री हिन्दी भाषा में भी तैयार एवं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

5. विभिन्न कार्यालयों की अपनी शब्दावली अंग्रेजी से हिन्दी एवं हिन्दी से अंग्रेजी में तैयार कराई जाए। साथ ही कार्यालयों द्वारा कार्यालयों में प्रयुक्त क्षेत्रीय भाषाओं की भी शब्दावली हिन्दी में तैयार कराई जानी चाहिए और उसे राज्यों में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों में वितरित कराया जाए। इसे कार्यालयों की वेबसाइट पर भी डाला जाना चाहिए।

6. अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा छापी जाने वाली पत्रिकाओं में स्थानीय भाषा के शब्दों को भी शामिल किया जाए। कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करते हुए स्थानीय भाषा के शब्दों को कोष्ठक में डाला जाना चाहिए।

7. ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि.(बीआईसी) के नाम को बदला जाना चाहिए।

8. प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य रूप से कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर से ही मंत्रालय को भेजी जाए।

9. कार्यालयों में हिन्दी के पदों के सृजन के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप हिन्दी अधिकारी, अनुवादक एवं हिन्दी टंकक के पदों का सृजन किया जाना चाहिए।

10. पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता सहित अन्य कार्यालयों में हिन्दी के सभी रिक्त पदों को अविलम्ब भरा जाना चाहिए। सभी कार्यालयों में नियमित हिन्दी अधिकारी का पद होना चाहिए।

11. सभी कार्यालयों को कम से कम एक वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन करना चाहिए।

12. कार्यालयों में हिन्दी कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का नियमित रूप से आयोजन किया जाना चाहिए।

13. जिन कार्यालयों में हिंदी में टंकण करने वाले कर्मचारियों की बहुत ही कमी है, वहां टंकण कार्य के लिए हिंदी में डाटा एंट्री करने वाले कुशल कर्मचारियों की सेवाएं ली जानी चाहिए।

14. राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अनुसार कार्यालयों में हिन्दी को बढ़ाने का दायित्व प्रशासनिक प्रधान को ही सौंपा गया है। इसलिए कार्यालय प्रमुखों द्वारा हिन्दी में कार्य किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

15. मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वर्ष भर में हिन्दी में किए कार्य की समीक्षा की जाए और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाए। हिन्दी दिवस/हिन्दी सप्ताह/हिन्दी पखवाड़ा के अवसर पर ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं, जिनका संबंध सरकारी कामकाज से हों और साथ ही साथ वह राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने में सहायक हों।

16. वस्त्र क्षेत्र के सभी उत्पादों पर **Made in India** की हिंदी '**भारत में निर्मित**' लिखा जाए और उसके आगे कोष्ठक में **(Made in India)** भी लिखा जा सकता है।

17. कम्प्यूटर पर हिन्दी टाइपिंग के लिए **Voice Typing Software** को डाउनलोड करके इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।

18. सभी कार्यालयों द्वारा राजभाषा विभाग के नियमानुसार पुस्तकों की खरीद हेतु निर्धारित बजट का न्यूनतम 50% व्यय हिन्दी पुस्तकों की खरीद किया जाना चाहिए।

19. जिन कार्यालयों में हिन्दी अधिकारी के पद प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाने की व्यवस्था है उन कार्यालयों में नियमित हिन्दी अधिकारी के पद सृजित किए जाने चाहिएं। साथ ही हिन्दी अधिकारी को वेतन वृद्धि/पदोन्नति के अवसर भी दिए जाने चाहिएं।

(कार्रवाई: मंत्रालय एवं इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी कार्यालय/निगम/बोर्ड/उपक्रम)

वस्त्र मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की दिनांक 29 जून, 2016 मसूरी में आयोजित 22वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों एवं अधिकारियों की सूची।

क्र.सं.	नाम और पदनाम	
1.	**श्री संतोष कुमार गंगवार, वस्त्र राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**	अध्यक्ष
	गैर-सरकारी सदस्य	
2.	डॉ. सिद्धांत महापात्र, संसद सदस्य, (लोक सभा)	सदस्य
3.	श्री मेघराज जैन, संसद सदस्य, (राज्य सभा)	सदस्य
4.	प्रो. सुशील कुमार शर्मा	सदस्य
5.	डा. सन्त राम वैश्य	सदस्य
6.	श्रीमती निरूपमा अग्रवाल	सदस्य
7.	श्रीमती शोभा उपाध्याय	सदस्य
8.	श्री जगदीश नारायण राय	सदस्य
9.	श्री अतुल गंगवार	सदस्य
10.	प्रो. निरंजन कुमार	सदस्य
	सरकारी सदस्य	
11.	श्री विजय कुमार, उप सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
12.	डा.कविता गुप्ता, वस्त्र आयुक्त, वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,मुंबई	सदस्य
13.	डा.एच.नागेश प्रभु, सदस्य सचिव, केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरू	सदस्य
14.	श्री प्रेमचन्द वैश्य, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लि. नई दिल्ली	सदस्य
15.	श्री बी.के.मिश्र, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय कपास निगम लि. मुंबई	सदस्य
16.	श्री निर्मल सिन्हा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,एचएचईसी, लि., नोएडा तथा बीआईसी लि., कानपुर	सदस्य
17.	श्री प्रमोद नागपाल, प्रबंध निदेशक, सैन्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	सदस्य
18.	श्री ए.चक्रवर्ती, प्रशासन एवं कार्मिक प्रबंधक, भारतीय पटसन निगम लि. कोलकाता	सदस्य
19.	श्री एस.पी.वर्मा, सचिव, वस्त्र समिति, मुंबई	सदस्य
20.	श्री गिरिराज कुमार मीना,कार्यकारी निदेशक, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर	सदस्य
21.	श्री शक्तिवेल पेरुमल सामी,अधिशासी निदेशक(वाणिज्य),राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ	सदस्य
22.	श्री सोहन कुमार झा, वरिष्ठ निदेशक, विकास आयुक्त,(हस्तशिल्प) का कार्यालय, नई दिल्ली	सदस्य
23.	श्री सुरेश चन्द्र, मुख्य प्रवर्तन अधिकारी, विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय, नई दिल्ली	सदस्य
24.	श्री किशन सिंह घुघत्याल, सहायक निदेशक, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, कोलकाता	सदस्य

25.	श्री सौम्य दीप्त दत्ता, तकनीकी विकास अधिकारी,पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता	सदस्य
26.	श्री रवीन्द्र, कुमार सिंह, हिंदी अधिकारी, निफ्ट मुख्यालय, नई दिल्ली	सदस्य
27.	श्रीमती गीता नारायण, संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य-सचिव
अन्य उपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगण		
28.	श्री कुश शर्मा, वस्त्र राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के अतिरिक्त निजी सचिव	
29.	श्री शेर सिंह, संयुक्त निदेशक (रा.भा.), वस्त्र मंत्रालय	
30.	श्री मोहन लाल मीना, वरिष्ठ अनुवादक, वस्त्र मंत्रालय	
31.	श्री राजेश कुमार, वरिष्ठ अनुवादक, वस्त्र मंत्रालय	
32.	श्री सौरभ आर्य, कनिष्ठ अनुवादक, वस्त्र मंत्रालय	
33.	श्री गौरी शंकर, वैयक्तिक सहायक, वस्त्र मंत्रालय	
34.	श्री दीप कुमार, आशुलिपिक, वस्त्र मंत्रालय	
35.	श्री आर. एस. मीना, अनुभाग अधिकारी, वस्त्र मंत्रालय	
36.	श्री नरेन्द्र निर्वाण, सहायक अनुभाग अधिकारी, वस्त्र मंत्रालय	
37.	श्री हाबिल तिर्की, उप निदेशक (रा.भा.), केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरू	
38.	श्री आर.डी. शुक्ल, सहायक निदेशक (रा.भा.), केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरू	
39.	डॉ. पंकज तिवारी, वैज्ञानिक 'घ' केंद्रीय रेशम बोर्ड, देहरादून	
40.	डॉ. ए.ए. सिद्दीकी, वैज्ञानिक 'घ' केंद्रीय रेशम बोर्ड, देहरादून	
41.	श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता, महाप्रबंधक (वित्त/राजभाषा), सीसीआई, मुंबई	
42.	श्री कमल किशोर बडोला, वरिष्ठ अनुवादक, केंद्रीय रेशम बोर्ड, देहरादून	
43.	श्री अर्जुन एस. दवे, शाखा प्रबंधक, भारतीय कपास निगम, नई दिल्ली	
44.	श्री एस.एस. ढ़क्करवाल, उ.म.प्र. (एच.आर.), एनएचडीसी, लखनऊ	
45.	श्री पंकज अग्रवाल, मुख्य महाप्रबंधक, नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लि. नई दिल्ली	
46.	श्री शिवाजी भारद्वाज, राजभाषा अधिकारी, एनटीसी, नई दिल्ली	
47.	श्री राम स्वरूप वर्मा, सहायक प्रबंधक एनटीसी लिमिटेड	
48.	श्री जे.पी.के. मंडल, कनि. अनुवादक, भारतीय पटसन निगम, कोलकाता	